न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 32/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र मंगला
2. हरि
3. हरबचन
   हरसहाय
4. गंगाराम
5. मुकेश

(2 से 5) पि. गोविन्दा

6. हरबाई
7. सन्तरा
8. केशन्ता
9. राधा

(6 से 9) पुत्रीयान गोविन्दा

समस्त जाति बैरवा निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि संवत 2003 में खालसा थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2016 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्मु गै0मु0 तलाई बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि खसरा नम्बर 41 मिन में खसरा नम्बर 317 रकबा 0.55 है. बने। आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.06.2002 के द्वारा [illegible] प्यारी पत्नि गोविन्दा, गोविन्दा पुत्र मंगला को खसरा नम्बर 317 में 0.08 है. भूमि आवंटन [illegible]मान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 317/2 रकबा 0.08 है. भूमि गोविन्दा पुत्र मंगला, रामप्यारी पत्नि गोविन्दा बैरवा निवासी कानपुरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि खसरा नम्बर 317/2 रकबा 0.08 है. गोविन्दा पुत्र मंगला, रामप्यारी पत्नि गोविन्दा के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन तलाई दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम कानपुरा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि संवत 2003 में खालसा थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2016 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्मु गै0मु0 तलाई बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि खसरा नम्बर 41 मिन में से खसरा नम्बर 317 रकबा 0.55 है. बने। आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 10.06.2002 के द्वारा आवंटी रामप्यारी पत्नि गोविन्दा, गोविन्दा पुत्र मंगला को खसरा नम्बर 317 में 0.08 है. भूमि आवंटन की गई। नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 317/2 रकबा 0.08 है. भूमि गोविन्दा पि. मंगला, रामप्यारी पत्नि गोविन्दा बैरवा निवासी कानपुरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि खसरा नम्बर 317/2 रकबा 0.08 है. गोविन्दा पुत्र मंगला, रामप्यारी पत्नि गोविन्दा के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन तलाई दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested